रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1244] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2015/ज्येष्ठ 26, 1937
No. 1244] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2015/JYAISTHA 26, 1937

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2015

का.आ. 1599(अ).— संख्या का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा जारी तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 में कतिपय संशोधन करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 937(अ) तारीख 31 मार्च, 2015 द्वारा एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 31 मार्च, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उपर्युक्त वर्णित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों का केन्द्रीय सरकार द्वारा परीक्षण कर लिया गया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 8 के उप पैरा (i) में,-

(क) टिप्पण और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) सी आर जेड- II से संबंधित खंड 2, के उपखंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) विद्यमान और प्रस्तावित सड़कों के सड़क हलके की ओर अनुज्ञात भवन या विद्यमान प्राधिकृत संरचनाएं, तल स्थान सूचक या तल क्षेत्र अनुपात जो 1991 स्तर के अनुसार होंगे, के सिवाय समय-समय पर यथा संशोधित विद्यमान स्थानीय नगर और ग्राम के योजना विनियम के अध्यधीन होंगे;

परंतु किन्हीं नई सड़कों जो किसी विद्यमान सड़क के समुद्र हलके की तरफ सन्निर्मित की जाती है, के भूमि हलके की ओर भवनों के सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

परंतु यह और कि गोवा, केरल और मुंबई के सीआरजेड-2 क्षेत्र में सन्निर्माण पैरा 8 के खंड V के उपबंधों से शासित होंगे ।" ।

[फा.सं.जे-17011/18/96-आईए-III]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ.19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात उसमें संख्या का.आ. 651(अ), तारीख 29 मार्च, 2011 के शुद्धिपत्र द्वारा और निम्नलिखित पश्चातवर्ती अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे :

1. का.आ.2557 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ;
2. का.आ.1244 (अ), तारीख 30 अप्रैल, 2014 ;
3. का.आ.3085 (अ), तारीख 28 नवंबर, 2014 ;
4. का.आ.383 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2015 ;
5. का.आ. 556 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2015 ; और
6. का.आ. 938 (अ), तारीख 31 मार्च, 2015 ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2015

S.O. 1599 (E).— Whereas, a draft notification under sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for making certain amendments in the Coastal Regulation Zone Notification, 2011, issued vide number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 937 (E) dated the 31st March, 2015 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 31st March, 2015;

And whereas, the objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been examined by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986 the Central Government hereby makes the following further amendments in the Coastal Regulation Zone Notification, 2011, namely:—

In the said notification, in paragraph 8, in sub-paragraph (i),-

(a) the Note and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in clause II relating to CRZ-II, for sub-clause (ii), the following sub- clause shall be substituted, namely:-

" (ii) buildings permitted on the landward side of the existing and proposed roads or existing authorised structures shall be subject to the existing local town and country planning regulations as modified from time to time, except the Floor Space Index or Floor Area Ratio, which shall be as per 1991 level :

Provided that no permission for construction of buildings shall be given on landward side of any new roads which are constructed on the seaward side of an existing road :

Provided further that the construction in CRZ-II area of Goa, Kerala and Mumbai shall be governed by the provisions of Clause V of paragraph 8.".

[F. No. J-17011/18/96-IA-III]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O 19 (E), dated the 6th January, 2011 and subsequently by Corrigendum vide S.O 651(E), dated the 29th March, 2011 and subsequently by—

1. S.O. 2557 (E), dated the 22nd August, 2013;
2. S.O. 1244 (E), dated the 30th April, 2014;
3. S.O. 3085 (E), dated the 28th November, 2014;
4. S.O. 383 (E), dated the 4th February, 2015;
5. S.O. 556 (E), dated the 17th February, 2015; and
6. S.O.938 (E), dated the 31st March, 2015.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.